न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 41/2018/अपील

सुवालाल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी माना की ढाणी तन ढाणी गुमानसिंह की तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र श्री म्हादूराम
2. नारूराम पुत्र श्री म्हादूराम
3. संतोष पत्नी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप
4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप
5. कैलाश पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप
6. धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप

   समस्त जाति मीणा निवासीगण गुमानसिंह की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर
7. रामोतार पुत्र श्री हाथीराम
8. शिम्भू पुत्र श्री हाथीराम
9. पांचुराम पुत्र श्री हाथीराम
10. मिश्री देवी स्त्री स्वर्गीय श्री दानाराम
11. सुरेश पुत्र स्वर्गीय श्री दानाराम

    समस्त जाति मीणा निवासीगण काली खेड़ा ग्राम पंचायत बासड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर
12. मातादीन पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभुराम
13. श्रवण उर्फ मालीराम पुत्र श्री प्रभुराम

    समस्त जाति मीणा निवासीगण गुमानसिंह की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर

1. मोहनलाल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी माना की ढाणी तन ढाणी गुमानसिंह की तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के निर्णय दिनांक 20.03.2018 मुकदमा नम्बर 3/17 अनुवानी ग्यारसीलाल वगै0 बनाम सुवालाल वगै0 अन्तर्गत धारा 183(बी)

Web Copy - Not Official

वकील अपीलांट श्री सांवरमल
वकील रेस्पोडेंट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—28.03.2019**

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 1.02 हैक्टर ग्राम बोडाला पटवार हल्का ढाणी गुमानसिंह तहसील खण्डेला जिसके

नाम अंकित होने को आधार बनाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 13 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसमें योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए व जवाबदेही बंद करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.18 इस आशय का पारित कर दिया गया कि भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा तथा नये खसरा नम्बर 687 रकबा 1.02 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम बोडाला पटवार हल्का ढाणी गुमानसिंह तहसील खण्डेला जिला सीकर में से पश्चिमी तरफ की 1/3 हिस्से की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खिलाफ गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत व जवाबदेही बन्द करने बाबत आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 13 की ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम में अभिकथित अभिकथनों के अनुसार विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत् रूप से बंटवारा करवाये बिना विशिष्ट भूभाग से बेदखली बाबत पारित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। कानूनन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 13 को अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनों का स्वयं की ओर से जरिये साक्ष्य साबित करना चाहिए था, परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर भूअभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई तथा भूअभिलेख निरीक्षक न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 के तथाकथित पूर्वज सेडू के समस्त वारिसान कौन कौन है को गलत रूप से आधार बनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 13 योग्य अधिनस्थ न्यायालय के अवैध आदेश को आधार बनाकर अपीलांट के स्वीकृत कब्जे को अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति की आड में हटाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने का उल्लेख किया गया है, जबकि रिकार्ड दुरूस्ती बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ना तो किसी प्रकार का कथन अपील मेमों में अंकित किया है एवं ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के सम्बंध में कानूनी रूप से सक्षम न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती बाबत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य होकर मीणा जाति से है। अप्रार्थी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त अवैध व गैर कानूनी है।

Web Copy - Not Official

किये जाने मात्र से यह परिलक्षित है कि प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति का अतिक्रमण है, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अतिविशिष्ट प्रावधान का सरंक्षण प्राप्त है तथा अपीलांट संक्षिप्त जांच (Summary Trial) के माध्यम से बेदखली के दायित्वाधीन है। अपीलांट रिकार्ड दुरूस्ती बाबत सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुती के माध्यम से चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। तथापि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official